



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48114

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3282 वर्ष 2026

प्रेम कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ तथा 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अमित कुमार मालवीय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार मालवीय तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा (ए/ए 0999/2012) को सुना गया।
2. प्रत्यर्थीगण की ओर से एक प्रारम्भिक आपत्ति उठाई गई है कि इस न्यायालय को वर्तमान याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हो सकता, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि बर्खास्तगी का आदेश असम में पारित किया गया था तथा अपीलीय आदेश चंडीगढ़ में पारित हुआ है।
3. उक्त स्थिति से संतुष्ट होने पर याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका वापस लेने की इच्छा व्यक्त की गई है, साथ ही यह कहा गया है कि वह उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष उचित कार्यवाही प्रस्तुत करेगा।
4. तदनुसार, इस न्यायालय द्वारा पारित विधिक सिद्धांत, जो कि **राजेन्द्र कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ (2005) 1 यूपीएलबीईसी 108** में प्रतिपादित है, के आलोक में हस्तक्षेप से इंकार किया जाता है तथा वर्तमान याचिका का **निस्तारण** इस स्वतंत्रता के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता विषय में क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रस्तुत कर सकता है।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

आशु

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।